ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 76-77**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

स्वतंत्रता का अधिकार एवं जनहितवाद में न्यायालयों की भूमिका

राहुल, 2. डॉ0 समरेन्द्र बहादुर शर्मा

शोध अध्येता, 2. विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया, सम्बद्धः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-03.09.2025, Revised-10.09.2025, Accepted-17.09.2025 E-mail : aaryvart2013@gmail.com

सारांशः *हाल ही के वर्षों में जो एक महत्वपूर्ण विकास हुआ हैं वह है कानून के माध्यम से सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक सुधार का कार्य जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। पी0आई0एल0 का उद्भव होने तक हमारे अशिक्षित अभावग्रस्त और शोषित जनता के लिए न्याय प्राप्त करना वास्तविकता से दूर था इसमें मुख्यतः तीन बड़ी मुश्किले थी – पहला लोगों में जागरूकता का अभाव। दूसरा उनकी निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण दृढ़ता का अभाव। तीसरा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावशाली तंत्र का अभाव। यह तभी होगा जब लोग यह जानेंगे कि उनके द्वारा किया गया गलत व्यवहार कानूनी रूप से गलत हैं और इसके लिए कानूनी समाधान उपलब्ध हैं तभी वे कानूनी समाधान प्राप्त करेंगे। यदि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो तो भी निर्धन व्यक्ति के पास खर्चीली याचिका के लिए न तो साधन हैं और न ही उसमें इच्छा शक्ति।*

कुंजीभूत शब्द– स्वतंत्रता, जनहित, अशिक्षित, अभावग्रस्त, शोषित, सामाजिक–आर्थिक, संविधान, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद।

जनहित याचिका वह याचिका है, जो कि उन (लोगों) के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरूद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है।

जनहित याचिका निम्नलिखित न्यायालयों के समक्ष दायर की जा सकती है :

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायाल के समक्ष।

जनहित याचिका के लिए यह जरूरी हैं कि लोगों के सामूहिक हितों जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना, जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो। किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं।

पी0आई0एल0 एवं संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग–III में मूल अधिकारों की तथा भाग–IV में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों की नई उदार व्याख्या ने पी0आई0एल0 के वर्तमान आन्दोलन के लिए अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया। ये दबाव क्रांति दस्तावेज जैसे अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स (अमेरिका का अधिकार न्यायालय) तथा मानवाधिकार की विश्व घोषणा से उत्पन्न हुए।

संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 कभी भी मूल अधिकारों के हनन होने पर किसी भी नागरिक को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लाने का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 32(1) मूल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्रवाई के द्वारा उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है।

मूल अधिकारों जिसमें प्रमुख रूप से स्वतंत्रता का अधिकार हैं उसके कार्यान्वयन के लिए परमादेश, आदेश या निर्देश जारी करने का उच्चतम न्याायलय और उच्च न्याायलयों को एक समान अधिकार प्राप्त है।

भारत में जनहित याचिकाओं की शुरूआत आपातकाल (1975–77) के प्रति क्रियास्वरूप हुई। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 मामले में एक वकील श्रीमती पुष्पा कपिला टिंगोरानी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने देश का पहला जनहित वाद दायर किया गया। यह याचिका बिहार जेल में बंद कैदियों से सम्बन्धित थी, जिसके मुकदमें अदालत में लम्बे समय से लम्बित पड़े थे। इस मामले में आपातकाल के दौरान भारत के विभिन्न जेलों में अमानवीय दशा झेल रहे कैदियों की ओर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के फरिदाबाद जिले के पत्थरों की खान खोदने वाले बंधुआ मजदूरों की याचिका को एक साधारण पत्र के रूप में स्वीकार किया और जाँच के लिए दो साधारण पत्र के रूप में स्वीकार किया और जाँच के लिए दो संस्थीय समिति का गठन किया। इसी तरह परमानन्द कटाक्ष बनाम भारत संघ 1989 मामले में अदालत ने समाचार पत्र के विज्ञापन के माध्यम से दायर याचिका स्वीकार की यह याचिका एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता द्वारा अस्पताल में कार्यरत उन चिकित्सकों के खिलाफ दायर की गई थी, जिन्होंने एक कार दुर्घटना में घालय मरणासन्न व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने से इन्कार कर दिया था।

1950 के दशक में फोर्ड फांउडेशन ने अमेरिका की विधि सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये निधिकरा का कार्यक्रम शुरू किया। बाद में इसका विस्तार लैटिन अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के देशों में भी किया गया। वर्ष 2000 में प्रवेश करते हुए फांउडेशन इसके न्यूयार्क हेडक्वार्टर के जरिये 25 देशों और दुनियाभर में 11 विदेशी कार्यालयों में माध्यम से जनहित कानून समूहों के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के कार्य में जुटा हुआ था।

अमेरिका में जनहित कानून को संस्थागत किया गया है। गैर सरकारी संस्था अमेरिका विधिक व्यवस्था के अनुसार लोगों के अधिकारों को संरक्षिण करने एवं बढ़ावा देने का काम करती है। ये संस्थायें स्वयं को जनहित संस्थाओं के रूप में परिभाषित करती है।

देश के विभिन्न विधि संस्थानों ने इसके विभिन्न आयामों को प्रकाश में लाने का कार्य किया है। क्लिनिकल लीगल ऐजुकेशन जिसकी शुरूआत अमेरिका में सामाजिक न्याय की कार्यवाही सुनिश्चित करने और गरीबों के हितों के लिए विधिक सहायतों के अभाव के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। कानूनी शिक्षा के अभियर्थों को अवसर प्रदान करता है कि वे सामान्य और पेचिदा हर प्रकार के जनहित मुद्दों पर व्यवहारिक कार्य करें।

न्यायिक क्रियावाद और जनहित वाद – न्यायिक प्रमाण और सहयोगकारी और लोकतांत्रिक हो गया है। यद्यपि परम्परागत उदाहरण, न्यायिक विनिश्चय व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों, बन्धकारी या जनहित के अन्तर्गत न्यायिक विनिश्चय न केवल वाद के

पक्षकारों को बाध्य करता है, अपितु नागरिकों जो सम्मान स्थिति में है, जनहितवाद और न्यायिक क्रियावाद एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है क्योंकि जनहितवाद अपने आप में न्यायिक क्रियावाद का परिणाम है।

आरम्भ के जनहितवादों में से कुछ मानव अधिकारों में अति उलघंनों के पीड़ित को न्यायालय द्वारा प्रतिकर अधिनिर्णय का प्रमाण दिया हैं यही सिद्धान्त डी0केक0 वशु बनाम युनियन ऑफ इण्डिया में पुनः द्वारा गया। जसमें यह घोषित किया गया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रतयाभूत अज्ञेय अधिकारों के अस्थापित अतिउलघंनों के प्रतिकर का अधिनिर्णय लोक विधि में उपलब्ध एक उपचार है क्योंकि लोक विधि का परयोजन न केवल संभय लोक शक्ति है अपितु नागरिकों को यह आस्वस्थ्य करना है कि वे एक ऐसी विधिक प्रणाली रहते है, जिसमें उनके अधिकारों और हितों की सुरक्षा एंव सनरक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. फादर पी0डी0 मैथ्यू, "जनहित याचिका"।
2. भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली।
3. 'न्याय सदन' प्रकाशन झारखण्ड राज्य विधिक सेवा।
4. "भारत का संविधान" डॉ0 जय नारायण पाण्डेय, पृ0 189.
5. सुस्मैन सुसन डी0 (1985).
6. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 AIR SC 13969.
7. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 AIR SCC 802.
8. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 AIR SCC 2033.
9. अग्रवाल, ओमप्रकाश, 1956 Fundamental Rights and Contitutional Pemedies.
10. अहूजा संगीता, 1997, Public Law and Justice.
11. Dr. Bhatia K.L. Prof. Wolfrun Redisger 1997.
12. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन : ए रेस्ट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्टस 1994.
13. Bari, Upendra, 1969, Direactive Principle and Sociology of Indian Law.
14. Sengar, D.S. 2003, PIL to Ensure that Instutition behave Lawfully V. 45 PP. 62-79.

*****